स्पीड पोस्ट

भारत के उप–राष्ट्रपति का सचिवालय
SECRETARIAT OF THE VICE – PRESIDENT OF INDIA
नई दिल्ली – 110011 (भारत)
NEW DELHI – 110011 (INDIA)

फाइल संख्या वीपीएस-55/01-आरटीआई/39/2022-2023 — 25 अगस्त, 2022

सेवा में,

श्री लक्ष्मन प्रसाद मद्देशिया,
पुत्र स्व0 श्री जवाहिर मद्देशिया,
ग्राम व पोस्ट-टेकुआटार, पुरानी बाजार,
वि0ख0-रामकोला, तहसील-कसया,
जनपद-कुशीनगर, उत्तर प्रदेश।

विषयः- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना हेतु।

महोदय,

कृपया अपने दिनांक 10.08.2022 के पत्र जोकि इस सचिवालय में 10.08.2022 को प्राप्त हुआ। जिसके साथ आपने दस रूपये का पो.आ. सं. 52F 036229 संलग्न कर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराने हेतु निवेदन किया है।

इस सचिवालय में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार आपके आरटीआई ओवदन दिनांक 24.05.2022 तथा अपील दिनांक 14.07.2022 का जवाब क्रमशः दिनांक 31.05.2022 तथा 03.08.2022 को भेज दिया गया था (प्रतियाँ सलंगित)।

आपके द्वारा आरटीआई आवेदन में मांगी गई जानकारी उप-राष्ट्रपति सचिवालय में उपलब्ध नहीं है इसलिये आपको परामर्श दिया जाता है कि आप वांछित सूचना प्राप्त करने के लिये संबंधित लोक सूचना अधिकारी को सूचना का अधिकार-2005 की धारा 6(1) के अंतर्गत अपना आरटीआई आवेदन भेज सकते है।

आवेदक कृपया ध्यान दें कि माननीय सीआईसी के आदेश संख्या सीआईसी/एसए/ए/2016/001483 दिनांक 01.08.2016 के अनुसार, इस सचिवालय द्वारा प्राप्त आरटीआई आवेदनों को स्थानांतरित करने की कोई बाध्यता नहीं है।

धन्यवाद,

भवदीय,

प.सि. बिष्ट
25.8.2022

(पवन सिंह बिष्ट)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
Pawan.singh@nic.in

VPSEC/A/PK22/000005

स्पीड पोस्ट

भारत के उप–राष्ट्रपति का सचिवालय
SECRETARIAT OF THE VICE – PRESIDENT OF INDIA
नई दिल्ली – 110011 (भारत)
NEW DELHI – 110011 (INDIA)

फाइल संख्या वीपीएस-55/01-आरटीआई/अपील/2022

03 अगस्त, 2022

आदेश

1. यह अपील श्री लक्ष्मन प्रसाद मद्देशिया पुत्र स्व0 श्री जवाहिर मद्देशिया, ग्राम व पोस्ट-टेकुआटर, पुरानी बाजार, वि0ख0-रामकोला, तहसील-कसया, जनपद-कुशीनगर,उत्तर प्रदेश के द्वारा दायर की गई है जो कि इस सचिवालय में दिनांक 14.07.2022 को प्राप्त हुई है जिसमें आप ने कहा है कि आप केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना से संतुष्ट एवं सहमत नही है।
2. इस सचिवालय के केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी ने अपने पत्र दिनांक 31.05.2022 (प्रति संलग्न) सूचित किया था कि जो सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम के अंर्तगत आवेदक द्वारा मांगी गई थी वह इस सचिवालय से संबंधित न होते हुए उत्तर प्रदेश सरकार से संबंधित थी इसलिए आपके आवेदन को श्रीयुत मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश को अग्रेसित कर दिया गया था तथा उसकी एक प्रति आपको भी इस आशय के साथ प्रेषित की थी कि भविष्य में आप इस विषय पर की गई कार्यवाही हेतु श्रीयुत मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के कार्यालय से संपर्क करें।
3. सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंर्तगत आपके द्वारा आर.टी.आई. आवेदन तथा तत्पश्चात दायर अपील में कोई भी विशेष सूचना जो इस सचिवालय से संबंधित हो नही मांगी गई है। अत: आपकी वर्तमान अपील का यही निपटान किया जाता है अत: इस पर आगे कार्रवाई की परिकल्पना नही की जाती ।

धन्यवाद,

भवदीय,

(अशोक दीवान)
प्रथम अपील प्राधिकारी

श्री लक्ष्मन प्रसाद मद्देशिया
पुत्र स्व0 श्री जवाहिर मद्देशिया,
ग्राम व पोस्ट-टेकुआटर, पुरानी बाजार,
वि0ख0-रामकेला, तहसील-कसया,
जनपद-कुशीनगर, उत्तर प्रदेश।

SPEED POST
3/8/22